



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 19.04.2025

थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 87/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधि0 से सम्बंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.04.2025 को वादी श्री आशेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री हेमेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर द्वारा थाना नहतौर पर तहरीर दी गयी कि वादी की बहन के ससुरालीजन 1.सचिन पुत्र भीष्म सिंह 2.भीष्म सिंह पुत्र नामालूम 3.रेखा देवी पत्नी भीष्म सिंह 4.रोबिन पुत्र भीष्म सिंह निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर देवीदास थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की बहन काजल को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित किया गया तथा दिनांक 17.04.2025 को काजल के उपरोक्त ससुरालीजनों द्वारा जहर देकर मार दिया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 87/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधि0 बनाम सचिन आदि उपरोक्त कुल 04 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 19.04.2025 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्तगण 1.सचिन पुत्र भीष्म सिंह 2.भीष्म सिंह पुत्र धूम सिंह निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर देवीदास थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.सचिन पुत्र भीष्म सिंह निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर देवीदास थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.भीष्म सिंह पुत्र धूम सिंह निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर देवीदास थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र तोमर थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1345 विक्रांत राणा थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 3 कां0 1902 प्रवीण कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 4.कां0 1902 प्रवीण कुमार थाना नहतौर बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 19.04.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 332/2025 धारा 64/351(3) बीएनएस, 3/4 पॉक्सो एक्ट व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम – 2021 से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.04.2025 को वादिया ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त रिजवान पुत्र रहीसुद्दीन निवासी मौ0 जुलाहान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया को शादी का झाँसा देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया व वादिया एवं उसकी पुत्री के साथ जबरन गलत काम किया तथा जान से मारने की धमकी दी । अभियुक्त रिजवान द्वारा अपने भाई इमरान से भी वादिया की पुत्री के साथ गलत काम कराया गया व जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया । वादिया द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0



332/2025 धारा 64/351(3) बीएनएस, 3/4 पॉक्सो एक्ट व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 बनाम रिजवान व इमरान उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 19.04.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त इमरान पुत्र रहीसुद्दीन निवासी मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इमरान पुत्र रहीसुद्दीन निवासी मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री उदयप्रताप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.का0 1036 सुमित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 4.आरक्षी चालक 2608 पंकज कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना किरतपुर

दिनांक 19.04.2025

व्यापारी के साथ घटना कारित करने वाले हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सहित 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र व मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.04.2025 को वादी श्री कपिल कुमार पुत्र रामअवतार सिंह निवासी ग्राम गनौरा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त राजन पुत्र नरपाल निवासी ग्राम शादीपुर जौना थाना किरतपुर जनपद बिजनौर व उसके एक अन्य साथी नाम पता अज्ञात के द्वारा वादी की परचनू की दुकान पर सामान लेने को लेकर हुई कहासुनी में जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर फायर कर दिया । इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 80/25 धारा 109(1)/351(2)/352/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त घटना में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा फील्ड यूनिट व सर्विलांस टीम द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किये गये । उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त आकाश कुमार पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम मसनपुर बसेडा थाना किरतपुर बिजनौर, का नाम प्रकाश में आया । उपरोक्त अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया ।

कार्यवाही का विवरण –

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 80/2025 धारा 109(1)/351(2)/115(2) बीएनएस में थाना किरतपुर व स्वाट/सर्विलांस टीम को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियोग में नामजद हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त राजन पुत्र नरपाल निवासी ग्राम शादीपुर जौना जनपद बिजनौर व प्रकाश में आये अभियुक्त आकाश कुमार पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम मसनपुर बसेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर, थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हेडा फलाई ओवर के पास से निकलने वाले हैं । इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम कुम्हेडा फलाईओवर



के पास पहुंचकर अभियुक्तों की घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तगणों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जिसमें एक गोली मुख्य आरक्षी सन्नीराज के दाहिने बाजू से होकर निकल कर गयी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो एक गोली अभियुक्त राजन उपरोक्त के बाये पैर में लगी, जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा इसके अन्य साथी आकाश कुमार उपरोक्त को भी गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त राजन व पुलिसकर्मी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अभियुक्तगणों के कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर व 02 खोखा व 06 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 पिस्टल 7.65 एमएम बोर व 03 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस 7.65 एमएम बोर व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल लाल रंग बजाज पल्सर बिना नम्बर प्लेट बरामद की गयी। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 84/2025 धारा 109(1)3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि वे पिछले 5-6 सालों से दोस्त हैं तथा कपिल की दुकान के सामने रहने वाला अगम पुत्र संजीव भी उनका अच्छा दोस्त है, जिसका घर कपिल की दुकान के सामने है। कपिल द्वारा पूर्व में उनके दोस्त अगम को धमकाया था, जिस कारण अगम का बदला लेने के लिये इनके द्वारा कपिल की दुकान पर पहुंचकर फायर किया गया था तथा कपिल को माथे पर तमंचे की बट मारकर घायल कर मौके से फरार हो गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता –

- 1- **हिस्ट्रीशीटर** अभि0 राजन पुत्र नरपाल निवासी ग्राम शादीपुर जौना जनपद बिजनौर।
- 2- आकाश कुमार पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम मसनपुर बसेडा थाना किरतपुर बिजनौर।

बरामदगी का विवरण –

- 1- 02 तमंचे 315 बोर व 02 खोखा व 06 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 2- 01 पिस्टल 7.65 एमएम बोर व 03 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस 7.65 एमएम बोर।
- 3- घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल लाल रंग बजाज पल्सर बिना नम्बर प्लेट।

आपराधिक इतिहास हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त राजन (HS No – 101A) उपरोक्त-

- 1- मु0अ0सं0 13/2017 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
- 2- मु0अ0सं0 289/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
- 3- मु0अ0सं0 08/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नांगल जनपद बिजनौर।
- 4- मु0अ0सं0 209/2020 धारा 307/504 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट थाना किरतपुर बिजनौर।
- 5- मु0अ0सं0 213/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 6- मु0अ0सं0 19/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 7- मु0अ0सं0 70/2022 धारा 307/452/504/506 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट थाना किरतपुर बिजनौर।
- 8- मु0अ0सं0 72/2022 धारा 25(1बी)ए आर्म्स एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 9- मु0अ0सं0 242/2023 धारा 307/504/506 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 10- मु0अ0सं0 257/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

11-मु0अ0सं0 506/2023 धारा 2(b)(i), 3(1) गैंग0 एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

12-मु0अ0सं0 650/2023 धारा 120 बी/196/420/467/468/471/ भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

13-मु0अ0सं0 80/2025 धारा 109(1)/351(2)/115(2) बीएनएस थाना किरतपुर बिजनौर ।

14-मु0अ0सं0 84/2025 धारा 109(1)3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आकाश कुमार उपरोक्त-

1-मु0अ0सं0 80/2025 धारा 109(1)/351(2)/115(2) बीएनएस थाना किरतपुर बिजनौर ।

2-मु0अ0सं0 84/2025 धारा 109(1)3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- श्री सचिन मलिक, प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद बिजनौर ।

2- श्री विरेन्द्र कुमार, थाना प्रभारी किरतपुर जनपद बिजनौर ।

3- श्री विकास कुमार, प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम जनपद बिजनौर ।

4- उ0नि0 ललित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

5- उ0नि0 रोबिन कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

6- मुख्य आरक्षी सन्नीराज थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

7- मुख्य आरक्षी प्रवीण कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

8- मुख्य आरक्षी अनुराग थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

9- आरक्षी आबिद थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

10- आरक्षी सोनू थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

11- आरक्षी अंकुर राणा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।